भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 5385

दिनांक 25.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रत्येक परिवार को नल–जल की आपूर्ति

5385. श्री सुनिल बाबूराव मेंधे

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रत्येक परिवार को नल से जल की आपूर्ति की कोई योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई दिशा–निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारी जल संकट से जूझ रहे देश में सबसे ज्यादा प्रभावित 256 जिलों की इस योजना को लागू करने के लिए पहचान कर ली गई है, यदि हां, तो इसके क्या मानदंड हैं तथा शेष जिलों में यह योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) केंद्रीय बजट अभिभाषण 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल (नलजलापूर्ति) सुनिश्चित कराने की परिकल्पना की गई है। यह कार्यक्रम वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और कृषि में पुनः उपयोग किए जाने हेतु घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे स्रोत स्थायित्व के लिए स्थानीय आधारभूत अवसंरचना के निर्माण सहित स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग एवं आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

(ग) जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान (जेएसए) की शुरूआत की जो एक समयबद्ध, मिशन मोड आधारित जल संरक्षण अभियान है। जल शक्ति अभियान (जेएसए) के तहत सरकार ने भारत सरकार में तैनात अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व वाली एक टीम को केंद्रीय नोडल अधिकारियों (सीएनओ) के रूप में तथा उप-सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारियों तथा तकनीकी अधिकारियों को चिह्नित किए गए प्रत्येक 256 जल संकट-ग्रस्त जिलों में तैनात किया है जो पांच मध्यवर्तनों नामत: (i) जल संरक्षण तथा वर्षा जल भंडारण, (ii) पारंपरिक और अन्य जल भंडारों/टैंकों का नवीकरण, (iii) पुन: उपयोग और बोरवेल रिचार्ज ढांचें, (iv) वाटरशेड विकास और (v) गहन वनीकरण के कार्यान्वयन का समन्वय करेंगे, प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा फीडबैक उपलब्ध कराएंगे।